इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 542] भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2022—आश्विन 11, शक 1944

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2022

क्र. F-5-34-2021-एक-(55).—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 37 और धारा 38 के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (लेखा, संपरीक्षा तथा बजट) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"6. स्थायी अग्रिम-परिषद् के व्ययों की पूर्ति के लिए रजिस्ट्रार के पास रुपए 5000/- (पांच हजार रुपए) का स्थायी अग्रिम होगा.".

2. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"7. **चेक जारी किया जाना**-रजिस्ट्रार व्ययन की सीमा के अनुसार परिषद् के खाते से रुपए 2,00,000/- (दो लाख रुपए) तक की राशि का चेक/एनईएफटी जारी कर सकता है. व्ययन की सीमा के अनुसार दो लाख से अधिक की राशि का चेक/एनईएफटी रजिस्ट्रार द्वारा अध्यक्ष/शासन के अनुमोदन के पश्चात् जारी की जा सकती है.".

3. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"9. **व्ययन की सीमा.**-

(1) रजिस्ट्रार रुपए 2,00,000/- (दो लाख रुपए) से अनधिक मूल्य की कोई वस्तु क्रय करने के लिए प्राधिकृत होगा, रजिस्ट्रार, उक्त रीति का उपयोग एक माह में दो बार कर सकेगा. उपरोक्त सीमा से अधिक होने वाला व्यय, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा.

(2) अध्यक्ष उप-नियम (1) (क) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से परे किन्तु रुपए 10,00,000/- (दस लाख रुपए) से अनधिक की किसी रकम के व्यय को मंजूर कर सकेगा, अध्यक्ष उक्त रीति का उपयोग एक माह में दो बार कर सकेगा.

(3) किसी भी दशा में, रुपए 10,00,000/- दस लाख रुपए से अधिक का व्यय राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जायेगा.

(4) परिषद् अपने कारबार के समुचित संचालन के लिए अपनी वित्तीय या कोई अन्य शक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगी.''.

Bhopal, the 3rd October 2022

No. F-5-34-2021-1 (LV).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 45 read with section 37 and 38 of the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Paramedical Council (Accounts and Audit Budget) Rules, 2001, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. For rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. Permanent advance—The registrar shall have a permanent advance of Rs. 5000/- (Rs. five thousand) to meet the expenses of the council.".

2. For rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. Issuance of cheque.—The registrar can issue a cheque /NEFT of an amount upto Rs. 2,00,000/- (Rs. two lakh), as per the limit of expenditure, from the account of Council, The cheque/NEFT of an amount exceeding two lakh, as per the limit of the expenditure, can be issued by the Registrar after approval of the Chairman/Government.".

3. For rule 9, the following rule shall be substituted, namely:—

"9. Limit of Expenditure.—

(1) The Registrar shall be authorized to purchase any article upto the value not exceeding Rs. 2,00,000/- (Rs. two lakhs), the Registrar may use the said method twice in a month. The expenditure occurring in excess of the above limit shall not be made without the prior permission of the Chairman.

(2) The Chairman may sanction expenditure beyound the limit specified under sub-rule (1) but upto an amount not exceeding Rs. 10,00,000/- (Rs. ten lakh), the Chairman may use the said method twice in a month.

(3) In no case an expenditure exceeding Rs. 10,00,000/- (Rs. ten lakh) be incurred without the approval of the State Government.

(4) The Council may delegate its financial or any other power to the Chairman or Vice-Chairman for proper conduct of its business.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. दुबे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.